

15/5/18

आदली पेश हुई। बकुलाय पदाकारान
परिचित पीठासीन अधिकारी सीमा रज्या
मे व्यस्त है, भिन्नत इत्यादी होकर अर्थात्
दिनांक... 21/6/18... को पेश हो।

[Signature]

28/5/18

राज्याली CPC को धारा 89 के तहत लोक अदालत बेंच
का स्थानान्तरित की जाती है। पत्रावली दिनांक 21/6/18
के स्थान पर दिनांक 28/5/18 का राज्य लोक
अदालत बेंच स्थान पनोरिया के
अधीन प्रस्तुत हो, तदनुसार सभी पदाकारान सूचित हो।

सहायक कलेक्टर (SDO, चौहटन) में

28/5/18

पत्रावली क्रमांक राजस्व लोक अदालत न्याय
कार्यालय द्वारा 2018 के कैम्प पनोरिया में पेश
हुई। चूंकि मूलवाद जरिये राजीनामा विरो
द्विष्टा जा चुका है। अब इस अपील में
अग्रिम कार्यवही का कोई औचित्य नहीं रहा
क्योंकि इस अपील में आगामी कार्यवही इला
कतर पर समाप्त कर न्यायालय द्वारा जारी
स्थान अर्पण दि 27.12.12 को मिरात
किया जाता है। पत्रावली के अंत शुभारंभ के
दाखिल दफ्तर हो। संख्या एक हो।

सहायक कलेक्टर
चौहटन